सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या 1187 / 41–2013–345 सा0 / 12

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा / वाराणसी / लखनऊ / इलाहाबाद /
गोरखपुर / कानपुर नगर / गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ :: दिनांक 22 मई, 2013

विषय– होटलों पर सुख–साधन कर के विषय में।

महोदय,

होटलों पर लगने वाला सुख–साधन कर (Luxury Tax) राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा करने पर यह देखा जा रहा है कि विगत कुछ समय से सुख–साधन कर में अपेक्षित बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है, जब कि प्रदेश में पर्यटकों की आवक में निरन्तर बढ़ोत्तरी हुई है तथा होटलों की संख्या एवं किराये में भी प्रायः बराबर बढ़ोत्तरी हो रही है। इससे ऐसा आभास हो रहा है कि सुख–साधन कर के निर्धारण एवं वसूली का कार्य समुचित ढंग से नहीं किया जा रहा है। प्रदेश स्तर पर ऐसी सूचनायें भी प्राप्त हो रही है कि आपके जनपद में कुछ होटल ऐसे हैं जिनके एक कमरे का किराया रू0 1000 / – प्रतिदिन से अधिक है परन्तु वे सुख–साधन कर नहीं जमा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुख–साधन कर की वसूली को प्रभावी बनाये जाने हेतु गम्भीरतापूर्वक से एक सघन अभियान चलाकर इसके निर्धारण एवं कर संग्रहण हेतु जिलाधिकारी स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लायी जाए।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग के शासनादेश संख्या–5511 / 41–353 / 82, दिनांक 14.12.1981 का भी कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू–राजस्व अधिनियम 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, 1975) की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तर प्रदेश के होटलों में सुख – साधन कर नियमावली 1975 बनायी गयी जो उत्तर प्रदेश में 01 अगस्त, 1975 से प्रवृत्त हुई। इस नियमावली के नियम 6 (1) के अन्तर्गत आपको अधिनियम के प्रयोगार्थ कर निर्धारण अधिकारी घोषित किया गया है और नियम 2 (1) (ख) में यह परिभाषित किया गया है कि आपकी ओर से इस नियमावली के अधीन किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिये आप द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी जो प्रथम श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो, कर निर्धारण अधिकारी माना जायेगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि सुख–साधन कर के निर्धारण की जिम्मेदारी आप पर एवं उसके संग्रहण तथा विप्रदेषण का उत्तरदायित्व आपके कार्यालय पर रहता है।

3. उक्त को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित नगरों मे उनके सम्मुख इंगित पर्यटन विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके प्राधिकृत करने के उपरान्त सुख–साधन कर संग्रहण तथा विश्लेषण का कार्य आपकी देख–रेख में कलेक्ट्रेट कार्यालय की सहायता से पूर्व व्यवस्था के अनुसार किया जाये, जिसके लिये कोई अतिरिक्त स्टाफ अथवा पारिश्रमिक देय नही होगा :–

1	आगरा	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी।
2	वाराणसी	उप निदेशक पर्यटन, वाराणसी।
3	लखनऊ	संयुक्त निदेशक पर्यटन, लखनऊ।
4	इलाहाबाद	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, इलाहाबाद।
5	कानपुर नगर	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, कानपुर नगर।
6	गाजियाबाद	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गाजियाबाद।
7	गौतमबुद्ध नगर	क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।
8	गोरखपुर	उपनिदेशक पर्यटन, गोरखपुर।

4. चूंकि प्रदेश के कुल सुख साधन कर के एकत्रण में आपके जनपद का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिये इसकी समीक्षा विशेष रूप से शासन स्तर पर की जायेगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व की अपेक्षा लक्जरी टैक्स मे बढ़ोत्तरी निश्चित रूप से आपके प्रयास को परिलक्षित करेगा।

5. अतः कृपया सुख–साधन कर के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आप अपने स्तर से उपरोक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे प्रदेश के राजस्व में वृद्धि हो सके तथा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति प्राप्त किये जाने में विभाग को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या–1097/41/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मण्डलायुक्त आगरा, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, कानपुर मण्डल।
2. महानिदेशक पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित उपनिदेशक पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)
सचिव